

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

X2018-09 निगरानी - 6145/2018/ग्वालियर/श.सं.

1. मान सिंह यादव
2. कालीचरण यादव
3. वीरेन्द्र सिंह यादव
4. राजेश सिंह यादव
पुत्रगण स्व. श्री किशन सिंह यादव
5. गुड्डी यादव पत्नी श्री मान सिंह यादव
6. श्रीमती सुनीता यादव पत्नी कालीचरण यादव
7. श्रीमती रेखा यादव पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह यादव
8. श्रीमती मिथलेश यादव पत्नी श्री राकेश सिंह यादव,

समस्त निवासीगण—ग्राम मोहनपुर, तहसील व
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

—प्रार्थीगण

बनाम

बबलू यादव पुत्र स्व. श्री किशन रि. यादव,
निवासी—ग्राम मोहनपुर, तहसील व जिला
ग्वालियर (म.प्र.)

—प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959,
विरुद्ध आदेश दिनांक 06/10/2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक— 582/2016-117
अपील,

श्रीमान महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-



निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, कृषि भूमि सर्वे क्रं.1668 रकवा 0.721 एवं सर्वे क्रमांक—1498

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6145/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.एस. गौड़, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानी अग्रह्य की जाती है ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>